# Haryana Government Gazette

**EXTRAORDINARY**

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 204-2021/Ext.] चण्डीगढ़, बुधवार, दिनांक 08 दिसम्बर, 2021

(17 अग्रहायण, 1943 शक)

**विधायी परिशिष्ट**



| क्रमांक | विषय वस्तु | पृष्ठ |
|---|---|---|
| **भाग I** | **अधिनियम** | |
| | कुछ नहीं | |
| **भाग II** | **अध्यादेश** | |
| | कुछ नहीं | |
| **भाग III** | **प्रत्यायोजित विधान** | |
| | 1. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 25/सवि० /अनु० 309/2021, दिनांक 08 दिसम्बर, 2021 –परिवहन विभाग हरियाणा (वर्ग ख) सेवा नियम, 2021. | 613–635 |
| **भाग IV** | **शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन** | |
| | कुछ नहीं | |

**भाग–III**

**हरियाणा सरकार**

परिवहन विभाग

**अधिसूचना**

दिनांक 30 नवम्बर, 2021

**संख्या सा०का०नि० 25/संवि० /अनु० 309/2021.–** भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, परिवहन विभाग हरियाणा (वर्ग ख) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

**भाग I –सामान्य**

**1.** (1) ये नियम परिवहन विभाग हरियाणा (वर्ग ग) सेवा नियम, 2021, कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

**2.** इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,– परिभाषाएं।

(क) ''अनुरूप पद'' से अभिप्राय है समकक्ष वेतनमान तथा समान कर्तव्य और उत्तरदायित्व वाला कोई पद;

(ख) ''आयोग'' से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग;

(ग) ''सीधी भर्ती'' से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति, जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानातंरण/प्रतिनियुक्ति से अन्यथा की गई हो;

(घ) ''मुख्यालय'' से अभिप्राय है, परिवहन आयुक्त हरियाणा का कार्यालय;

(ङ) ''सरकार'' से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;

(च) ''क्षेत्रीय कार्यालय'' से अभिप्राय है, परिवहन विभाग, हरियाणा के मुख्य कार्यालय से भिन्न कार्यालय;

(छ) ''संस्था'' से अभिप्राय है,–

(i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था; या

(ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य संस्था;

(ज) ''मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय'' से अभिप्राय है,–

(i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय; या

(ii) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो; तथा

(झ) ''सेवा'' से अभिप्राय है, परिवहन विभाग हरियाणा (वर्ग ग) सेवा;

भाग II –सेवा में भर्ती

**3.** सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट ''क'' में बताए गए पद समाविष्ट होंगेः पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप।

परन्तु इन नियमों की कोई बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों तथा वेतनमानों वाले नए नियमित पद बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

**4.** (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह निम्नलिखित न होः– सेवा में नियुक्त किए गए उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता, अधिवास तथा चरित्र।

(क) भारत का नागरिक; या

(ख) नेपाल की प्रजा; या

(ग) भूटान की प्रजाः

परन्तु वर्ग (ख) या (ग) से संबंधित व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह अपने अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था, यदि कोई हो, के प्रधान/शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाणपत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेवार व्यक्तियों से, जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन से भली भांति परिचित हों और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से संबंधित न हो, उसी प्रकार के प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करे।

आयु। **5.** कोई भी व्यक्ति सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा, जो आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को अठारह वर्ष की आयु से कम या बयालीस वर्ष की आयु से अधिक का हो:

परन्तु सरकार द्वारा, समय–समय पर, निर्धारित विभिन्न प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट स्वीकार्य होगी।

नियुक्ति प्राधिकारी। **6.** सेवा में पदों पर नियुक्तियां सरकार द्वारा की जाएंगी।

योग्ताएं तथा अनुभव। **7.** कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में विनिर्दिष्ट तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में विनिर्दिष्ट योग्यताएं तथा अनुभव न रखता हो।

अयोग्यातएं। **8.** कोई भी व्यक्ति, –

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है,

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

भर्ती का ढंग। **9.** (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी.–

(क) **सिस्टम एनालिस्ट की दशा में,–** किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे अनुरूप पद धारण करने वाले किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ख) **जन संपर्क अधिकारी की दशा में, –**

(i) सहायक जन संपर्क अधिकारी में से पदोन्नति द्वारा; या

(ii) हरियाणा सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे अनुरूप पद धारण करने वाले किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ग) **सहायक जिला परिवहन अधिकारी–एवं–सहायक सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण/सहायक परिवहन आयुक्त की दशा में, –**

(i) मोटर वाहन अधिकारियों और मोटर वाहन अधिकारियों (प्रवर्तन); अथवा अधीक्षको में से आनुपातिक आधार पर पदोन्नति द्वारा; अथवा

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे अनुरूप पद धारण करने वाले किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(घ) **अधीक्षक की दशा में,–** सहायक सचिव/ सहायक/लेखाकार/वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक में से पदोन्नति द्वारा;

(ड़) **मोटर वाहन अधिकारी (प्रवर्तन) की दशा में,–**

(i) 60 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; तथा

(ii) 40 प्रतिशत सहायक सचिव/सहायक/लेखाकार/वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से पदोन्नति द्वारा; अथवा

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे अनुरूप पद धारण करने वाले किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(च) **मोटर वाहन अधिकारी की दशा में , –**

(i) 50 प्रतिशत मोटर वाहन निरीक्षकों में से पदोन्नति द्वारा; तथा

(ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; अथवा

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे, अनुरूप पद धारण करने वाले किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति द्वाराः

परन्तु परिवहन विभाग हरियाणा (वर्ग ग) सेवा से पदोन्नति के लिए कोई पात्र पदधारी उपलब्ध न होने की दशा में पदोन्नति कोटा के 50 प्रतिशत, पद सीधी भर्ती/स्थानांतरण के माध्यम से प्रारम्भ में एकबारगी उपाय के रूप में भरे जा सकते हैं;

(छ) **हार्डवेयर ईंजीनियर और नेटवर्किंग प्रशासक की दशा में,–** किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे अनुरूप पद धारण करने वाले किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ज) **निजी सचिव की दशा में,** किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे अनुरूप पद धारण करने वाले किसी कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(2) *सभी पदोन्नतियां जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएंगी तथा केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नतियों के लिए कोई आधार प्रदान नहीं करेगी।*

**10.** (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो दो वर्ष की अवधि के लिए और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगाः परिवीक्षा।

परन्तु–

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद, किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि में गिनी जाएगी;

(ख) स्थानातरंण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किए गए कार्य की कोई अवधि नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन निश्चित परिवीक्षा अवधि में गिनने की ओर अनुज्ञेय होगी; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जाएगी, किन्तु इस प्रकार स्थानापन्न रूप में कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर, यदि वह किसी स्थायी रिक्ति पर नियुक्त न किया गया हो, तो पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो, तो वह,–

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो,–

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या

(ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कारवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करे।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,–

(क) यदि उसकी राय में, उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो, ऐसे व्यक्ति को उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है।

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो, तो,–

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें ; या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि, यदि कोई है, भी शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

ज्येष्ठता।

**11.** सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता सेवा में किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जाएगीः

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हो, तो वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग–अलग निश्चित की जाएगीः

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग द्वारा निर्धारित योग्यताक्रम भंग नहीं किया जाएगाः

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उसकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप में निश्चित की जाएगीः—

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानातंरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;

(ग) पदोन्नति अथवा स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में उन सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जाएगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानातरंण किए गए थे; और

(घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानातंरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उसकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जाएगी, अधिमान ऐसे सदस्यों को दिया जाएगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो, तो उनकी ज्येष्ठता उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जाएगी और यदि सेवाकाल भी समान हो, तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

सेवा करने का दायित्व।

**12.** (1) सेवा के सदस्यों को नियुक्ति प्राधिकारी या विभागाध्यक्ष, जो भी उच्चतर हो, द्वारा लोक हित में चण्डीगढ़ प्रशासन तथा भाखड़ा ब्यास प्रबन्धन बोर्ड सहित हरियाणा सरकार के नियंत्रणाधीन किसी संगठन/विभाग में विदेश सेवा/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित किया जा सकता हैः

परन्तु कोई भी सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा की अवधि के दौरान तथा अधिवर्षिता पर उसकी सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पूर्व विदेश सेवा या प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा।

(2) किसी भी सरकारी कर्मचारी को उसकी इच्छा के विरुद्ध भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी संगठन/विभाग में या भारत के बाहर विदेश सेवा में या प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा।

(3) उपरोक्त उप–नियम (1) या (2) के अधीन किसी सरकारी कर्मचारी का स्थानान्तरण हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 में अधिकथित शर्तों के अधीन तथा किन्हीं निर्बन्धनों, जो यह साधारण या विशेष आदेशों द्वारा अधिरोपित करना ठीक समझे के अध्यधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।

टिप्पण 1.— किसी भी सरकारी कर्मचारी को विदेश सेवा या प्रतिनियुक्ति पर तब तक स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा जब तक आदाता नियोक्ता उसे ऐसे विशेष सुविधाओं से कम प्रदान न करने के लिए वचन नहीं देता है जो वह भोग रहा होता, यदि वह हरियाणा सरकार की सेवा में रहता।

टिप्पण 2.— अस्थायी या स्थायी सरकारी कर्मचारी का उसके मूल विभाग में धारणाधिकार अविकल रहेगा जैसा वह विदेश सेवा में या प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित न होने पर होता।

टिप्पण 3.— चण्डीगढ़ प्रशासन, भाखड़ा ब्यास प्रबन्धन बोर्ड या हरियाणा सरकार के किसी अन्य विभाग में स्थानान्तरित सरकारी कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर होगा। तथापि, वह किसी प्रतिनियुक्ति भत्ते के लिए हकदार नहीं होगा तथा प्रतिनियुक्ति की अवधि के लिए परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम के अधीन समरूप अंशदान को छोड़ कर अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान के भुगतान के लिए उधारदाता विभाग पर कोई भी दायित्व नहीं होगा।

वेतन, छुट्टी, पेंशन और अन्य मामले।

**13.** (1) वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य सभी मामलों के संबंध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबंध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (वेतन) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ते) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (भत्ते) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य भविष्य निधि) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 तथा ऐसे नियमों

तथा विनियमों द्वारा शासित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन या राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाये अथवा बनाए गए हों अथवा इसके बाद अपनाये या बनाए जाएं :

परन्तु हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 सेवा के उन सदस्यों पर लागू नहीं होंगे, जो प्रथम जनवरी, 2006 या उसके बाद नियुक्त किए हों (मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपादान और अवकाश नकदीकरण को छोड़कर)।

(2) कोई सरकारी कर्मचारी, जो सेवा या पद से सेवा निवृत होता है, अधिवर्षिता पेंशन (किंतु पेंशन के किसी अन्य किस्म के लिए नहीं) के लिए अर्हक सेवा में परिवर्धन करने के लिए पात्र होगा–

(i) उसकी सेवा की अवधि के एक चौथाई से अन्धिक वास्तविक अवधिः या

(ii) वास्तविक अवधि, जिससे भर्ती के समय उसकी आयु पच्चीस वर्ष से अधिक होती है; या

(iii) पांच वर्ष की अवधि,

इनमें से जो भी कम हो, यदि वह सेवा या पद, जिसमें सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति की गई है, निम्नलिखित में से कोई एक है,–

(क) जिसके लिए प्रोद्यौगिकी या व्यवसायिक क्षेत्र में विशिष्ट वैज्ञानिक स्नातकोत्तर अनुसंधान या अर्हता या अनुभव अनिवार्य है ; और

(ख) जिस पर सामान्यतः पच्चीस वर्ष से अधिक आयु के उम्मीद्‌वार भर्ती किए गए हैंः

परन्तु यह छूट उन सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय होगी, जिनकी,–

(i) नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा की गई है और न कि पदोन्नति द्वारा;

(ii) वास्तविक अर्हक सेवा अधिवर्षिता सेवानिवृत्ति के समय दस वर्ष या अधिक हैः

परन्तु उपरोक्त उपनियम (2) के उपबन्ध, सेवा के उन सदस्यों को लागू नही होंगे, जो प्रथम जनवरी, 2006 को या उसके बाद नियुक्त किए गए हों।

(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट छूट उसी विभाग में या किसी अन्य विभाग में किसी अन्य पद से ऐसे पद पर पश्चात्‌वर्ती नियुक्ति को भी लागू होगीः

परन्तु सरकारी कर्मचारी या तो अपनी पूर्ववर्ती अर्हक सेवा को अधिवर्षिता पेंशन के लिए हिसाब में लेने का हकदार होगा या उपनियम (2) के अधीन छूट प्राप्त करने का हकदार होगा। वह इस आशय के विकल्प का प्रयोग पद ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर करेगा। एक बार विकल्प का किया गया प्रयोग अन्तिम होगा।

टिप्पणीःइस नियम के अधीन छूट प्रदान करने का निर्णय प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से भर्ती की तिथि के दो वर्ष के भीतर लिया जाऐगा।

**14.** (1) अनुशासन, शक्तियों तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में सेवा के सदस्य समय–समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दंड तथा अपील) नियम, 2016, द्वारा शासित होंगेः *अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें।*

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती है, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट है।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दंड तथा अपील) नियम, 2016 के नियम 9 के या खंड (ग) या खंड (घ) के अधीन आदेश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में यथा विनिर्दिष्ट है।

**15.** सेवा का प्रत्येक सदस्य, जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा, ऐसा निर्देश करे, टीका लगवाएगा तथा पुनः टीका लगवाएगा। *टीकाकरण।*

**16.** सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी। *राजनिष्ठा की शपथ।*

**17.** जहां सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक अथवा समीचीन हो, जहां वह कारण लिखकर, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है। *ढील देने की शक्ति।*

विशेष उपबन्ध। **18.** इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह पदोन्नति/नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे, तो वह ऐसा कर सकता है।

आरक्षण। **19.** इन नियमों में दी गई कोई भी बात, भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के खण्ड (4) के अधीन राज्य सरकार इस सम्बन्ध में, समय–समय पर, जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों तथा व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी:

परन्तु इस प्रकार से किए गए आरक्षण की कुल प्रतिशता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

निरसन तथा व्यावृत्ति। **20.** हरियाणा परिवहन विभाग (वर्ग ख) सेवा नियम, 1992, जहाँ तक इन नियमों द्वारा शासित पदों में विलय किए गए पदों को लागू हैं, इसके द्वारा, निरसित किए जाते हैः

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्यवाई समझी जाएगी।

**परिशिष्ट क**

*(देखिए नियम 3)*

| क्रम संख्या | पदनाम | पदों की संख्या | वेतनमान |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | वरिष्ठ लेखा अधिकारी | 2 | वित्त विभाग, हरियाणा से अपने वेतनमान में प्रतिनियुक्ति द्वारा |
| 2 | सिस्टम एनालिस्ट | 1 | एफ.पी.एल. 9 (53,100—1,67,800) |
| 3 | जन संपर्क अधिकारी | 1 | एफ.पी.एल. 8 (47,600—1,51,100) |
| 4 | सहायक जिला न्यायवादी | 9 | अभियोजन विभाग, हरियाणा से अपने वेतनमान में प्रतिनियुक्ति द्वारा |
| 5 | सहायक जिला परिवहन अधिकारी–एवं–सहायक सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण | 27 | एफ.पी.एल. 8 (47,600—1,51,100) |
| 6 | अधीक्षक | 5 | एफ.पी.एल. 7 (44,900—1,42,400) |
| 7 | मोटर वाहन अधिकारी (प्रवर्तन) | 22 | एफ.पी.एल. 6 (35,400—1,12,400) |
| 8 | मोटर वाहन अधिकारी | 23 | एफ.पी.एल. 6 (35,400—1,12,400) |
| 9 | हार्डवेयर इंजीनियर तथा नेटवर्किंग प्रशासक | 1 | एफ.पी.एल. 6 (35,400—1,12,400) |
| 10 | निजी सचिव | 1 | एफ.पी.एल. 6 (35,400—1,12,400) |

टिप्पणः 1. सहायक जिला परिवहन अधिकारी एवं सहायक सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी को मुख्यालय में तैनाती के दौरान सहायक परिवहन आयुक्त के रूप में पदाभिहित किया जाएगा।

टिप्पणः 2. सिस्टम एनालिस्ट, हार्डवेयर इंजीनियर तथा नैटवर्किंग प्रशासक तथा निजि सचिव के पद उनके पैतृक विभाग के सम्बन्धित सेवा नियमों, जो उन्हें लागू हो, द्वारा शासित होंगे।

टिप्पणः 3. वरिष्ठ लेखा अधिकारी तथा सहायक जिला न्यायवादी के पद उनके पैतृक विभाग के सम्बन्धित सेवा नियमों, जो उन्हें लागू हो, द्वारा शासित होंगे।

**परिशिष्ट ख**

*(देखिए नियम 7)*

| क्रम संख्या | पदनाम | सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो | सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | वरिष्ठ लेखा अधिकारी | – | वित्त विभाग हरियाणा से अपने वेतनमान में प्रतिनियुक्ति द्वारा जो अपने पैतृक विभाग के सेवा नियमों में विनिर्दिष्ट योग्यता और अनुभव रखते हों। |
| 2 | सिस्टम एनालिस्ट | – | **प्रतिनियुक्ति द्वारा–**<br>(i) सिस्टम एनालिस्ट या अनुरूप पद पर दो वर्ष का अनुभव;<br>(ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत। |
| 3 | जन संपर्क अधिकारी | – | **पदोन्नति द्वारा**<br>(i) सहायक जन संपर्क अधिकारी के रूप में दो वर्ष का अनुभव ।<br>**प्रतिनियुक्ति द्वारा**<br>(i) अनुरूप पद पर दो वर्ष का अनुभव;<br>(ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत। |
| 4 | सहायक जिला न्यायवादी | – | अभियोजन विभाग हरियाणा से अपने वेतनमान में प्रतिनियुक्ति द्वारा जो अपने पैतृक विभाग के सेवा नियमों में विनिर्दिष्ट योग्यता और अनुभव रखते हों। |
| 5 | सहायक जिला परिवहन अधिकारी–एवं–सहायक सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण | – | **पदोन्नति द्वारा**<br>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक; तथा<br>(ii) मोटर वाहन अधिकारी / मोटर वाहन अधिकारी (प्रवर्तन) के रूप में तीन वर्ष का अनुभव या अधीक्षक के रूप में दो वर्ष का अनुभव,<br>**प्रतिनियुक्ति द्वारा**<br>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक;<br>(ii) अनुरूप पद पर दो वर्ष का अनुभव; तथा<br>(iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 6 | अधीक्षक | — | **पदोन्नति द्वारा**<br>(i) सहायक सचिव / सहायक/ लेखाकार/वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में बारह वर्ष का अनुभव;<br>टिप्पणः सहायक सचिव के मामले में बारह वर्ष के अनुभव की गणना सहायक सचिव के रूप में उसकी सेवा और फीडर संवर्ग, जिससे उसे पदोन्नत किया गया था, में उसकी सेवा को जोड़कर की जाएगी। |
| 7 | मोटर वाहन अधिकारी (प्रवर्तन)। | (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 60 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक;<br>(ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत। | **पदोन्नति द्वारा**<br>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक;<br>(ii) सहायक सचिव/सहायक/ लेखाकार/वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव;<br>टिप्पणः सहायक सचिव के मामले में पांच वर्ष के अनुभव की गणना सहायक सचिव के रूप में उसकी सेवा और फीडर संवर्ग जिससे उसे पदोन्नत किया गया था, में उनकी सेवा को जोड़कर की जाएगी।<br>**प्रतिनियुक्ति द्वारा–**<br>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक;<br>(ii) अनुरूप पद पर दो वर्ष का अनुभव; तथा<br>(iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत। |
| 8 | मोटर वाहन अधिकारी। | (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मैकेनिकल या ऑटो मोबाईल इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री;<br>(ii) मूल उपकरण विनिर्माता वाली किसी मोटर व्हीकल ऑटोमोबाईल वर्कशाप, जहाँ हलके मोटर वाहन तथा भारी मोटर वाहन की मरम्मत जिसमें पैट्रोल तथा डीज़ल ईंजन का काम होता हो, में कम से कम एक वर्ष का कार्य अनुभव;<br>(iii) गियर के साथ मोटर साईकिल तथा हल्के मोटर वाहन को चलाने की अनुज्ञप्ति;<br>(iv) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत;<br>(v) कम्प्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। | **पदोन्नति द्वारा–**<br>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मैकेनिकल या ऑटो मोबाईल इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री;<br>(ii) मोटर वाहन निरीक्षक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव।<br>**प्रतिनियुक्ति द्वारा–**<br>(i) किसी मान्यतप्राप्त विश्वविद्यालय से मैकेनिकल या ऑटो मोबाईल इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री;<br>(ii) अनुरूप पद पर दो वर्ष का अनुभव;<br>(iii) गियर के साथ मोटर साईकिल तथा हल्के मोटर वाहन को चलाने की अनुज्ञप्ति;<br>(iv) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत;<br>(v) कम्प्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 9 | हार्डवेयर इंजीनियर तथा नेटवर्किंग प्रशासक | — | **प्रतिनियुक्ति द्वारा—**<br>(i) हार्डवेयर इंजीनियर तथा नेटवर्क इंजीनियर या किसी अनुरूप पद पर दो वर्ष का अनुभव;<br>(ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत; |
| 10 | निजी सचिव। | — | **प्रतिनियुक्ति द्वारा—**<br>(i) निजी सचिव के पद पर दो वर्ष का अनुभव; **अथवा** निजी सहायक अथवा वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में अलग—अलग या संयुक्त रूप से पांच वर्ष का अनुभव;<br>(ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत। |

**परिशिष्ट ग**

*[देखिए नियम 14 (1)]*

| क्रम संख्या | पदनाम | नियुक्ति प्राधिकारी | शास्ति का स्वरूप | शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | जन संपर्क अधिकारी | सरकार | **I छोटी शस्तियां**<br>हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विनिर्दिष्ट<br>**II बड़ी शस्तियां –**<br>हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विनिर्दिष्ट | सरकार |
| 2. | सहायक जिला परिवहन अधिकारी–एवं–सहायक सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण | | | |
| 3. | अधीक्षक | | | |
| 4. | मोटर वाहन अधिकारी (प्रवर्तन) | | | |
| 5. | मोटर वाहन अधिकारी | | | |

**परिशिष्ट घ**

*[देखिए नियम 14 (2)]*

| क्रम संख्या | पदनाम | आदेश करने का स्वरूप | आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी | अपील प्राधिकारी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | जन संपर्क अधिकारी | (i) पेंशन को शासित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य या अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना; (ii) सेवा के सदस्य की इसकी अधिवर्षिता के लिए नियत आयु के होने से पूर्व अन्यथा से नियुक्ति की समाप्ति। | सरकार | सरकार |
| 2. | सहायक जिला परिवहन अधिकारी–एवं–सहायक सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण | | | |
| 3. | अधीक्षक | | | |
| 4. | मोटर वाहन अधिकारी (प्रवर्तन) | | | |
| 5. | मोटर वाहन अधिकारी | | | |

कला रामचंद्रन,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
परिवहन विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**

TRANSPORT DEPARTMENT

**Notification**

The 8th December, 2021

**No. G.S.R. 25/Const./Art. 309/2021.—** In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Transport Department Haryana (Group B) Service, namely:-

## PART I-GENERAL

Short title and commencement.

**1.** (1) These rules may be called the Transport Department Haryana (Group B) Service Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Definitions.

**2.** In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "analogous post" means a post having similar pay scale and duties and responsibilities;

(b) "Commission" means the Haryana Public Service Commission;

(c) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the service or by transfer/deputation of an officer already in the Service of the Government of India or any State Government;

(d) "Government" means the Government of the State of Haryana in the administrative department;

(e) "Head Office" means the office of the Transport Commissioner;

(f) "Field Offices" means offices of Transport Department, Haryana other than the Head Office;

(g) "institution" means –

(i) any institution established by law in force in the State of Haryana; or

(ii) any other institution recognized by the Government for the purpose of these rules;

(h) " recognized university" means -

(i) any university incorporated by law in India; or

(ii) any other university which is declared by the Government to be a recognized university for the purpose of these rules;

(i) "Service" means the Transport Department Haryana (Group B) Service.

## PART II-RECRUITMENT TO SERVICE

Number and character of post.

**3.** The Service shall comprise the posts shown in **Appendix A** of these rules:

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to or reductions in the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay.

Nationality, domicile and character of candidates appointed to Service.

**4.** (1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is –

(a) a citizen of India; or

(b) a subject of Nepal; or

(c) a subject of Bhutan:

Provided that a person belonging to any of the categories (b) or (c) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the principal, academic officer of the university, college, school or institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

Age.

**5.** No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment who is less than eighteen years or more than forty-two years of age, on or before the last date of submission of application to the Commission or any other recruiting authority:

Provided that a relaxation in upper age limit shall be admissible to the persons of various categories as be prescribed by Government from time to time.

Appointing authority.

**6.** All appointments to the posts in the Service shall be made by the Transport Commissioner.

Qualifications.

**7.** No person shall be appointed to any post in the Service, unless, he is in possession of the qualifications and experience specified in column 3 of **Appendix B** to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of appointment other than by direct recruitment.

Dis-qualifications.

**8.** No person-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any post in the Service:

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

Method of recruitment.

**9.** (1) Recruitment to the service shall be made, -

(a) **in the case of System Analyst-** by deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India, holding analogous post;

(b) **in the case of Public Relations Officer-**

(i) by promotion from amongst Assistant Public Relation Officer; or

(ii) by deputation of an officer already in the service of Government of Haryana or any other State Government or the Government of India, holding analogous post;

(c) **in the case of Assistant District Transport Officer-cum-Assistant Secretary, Regional Transport Authority/Assistant Transport Commissioner-**

(i) by promotion from amongst Motor Vehicle Officers and Motor Vehicle Officers (Enforcement) and Superintendents on prorata basis; or

(ii) by deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India, holding analogous post;

(d) **in the case of Superintendent-** by promotion from Assistant Secretary/Assistants/Accountants/ Senior Scale Stenographers;

(e) **In the case of Motor Vehicle Officer (Enforcement)-**

(i) 60% by direct recruitment; and

(ii) 40% by promotion from Assistant Secretary /Assistants/Accountants / Senior Scale Stenographers; or

(iii) by deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India, holding analogous post;

(f) **in the case of Motor Vehicle Officer-**

(i) 50% by promotion from amongst the Motor Vehicle Inspectors; and

(ii) 50% by direct recruitment, or

(iii) by deputation of an officer already in the service of any State Government or Government of India, holding analogous post:

Provided that upto 50% of the posts meant for promotion may be filled up through direct recruitment/transfer initially as a onetime measure in case no eligible official is available for promotion from the Transport Department Haryana (Group-C) Service;

(g) **in the case of Hardware Engineer and Network Administrator-** by deputation of an officer already in the service of any State Government or Government of India, holding analogous post;

(h) **In the case of Private Secretary-** by deputation of an employee already in the service of any State Government or the Government of India, holding analogous post.

(2) All promotions unless otherwise provided shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.

**10.** (1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year, if appointed otherwise: Probation.

Provided that no probation shall be required in case officer is appointed by way of transfer or deputation:

Provided further that-

(a) any period after such appointment, spent on deputation on corresponding or a higher post shall count towards the period of probation;

(b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the Service may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation, fixed under this rule; and

(c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a regular vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person at any time during the period of probation is not satisfactory, it may, -

(a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his services; and

(b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment,—

(i) revert him to his former post ;or

(ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may-

(a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory, confirm such person from the date of his appointment;

(b) if his work or conduct has in its opinion, been not satisfactory;

(i) dispense with his Service, if appointed by direct recruitment and if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner, as the terms and conditions of previous appointment permit; or

(ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation:

Provided that the total period of probation, including extension, if any, shall not exceed three years.

**11.** Seniority, inter-se, of the members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service: Seniority.

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre;

Provided further that in the case of members appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Commission or any other recruiting authority, as the case may be, shall not be disturbed in fixing the seniority;

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows:-

(a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer;

(b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer;

(c) in the case of members appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred; and

(d) in case of the members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to the pay, preference shall be given to a member who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment; and if the rates of pay drawn will also be same, then, by the length of their services in the appointment, and, if the length of such service is also same, then the older member shall be senior to the younger member.

Liability to serve.

**12.** (1) A member of Service may, in public interest, be transferred by the appointing authority or Head of Department, whichever is higher, to foreign service or on deputation to any Organization/ Department under the control of Haryana Government including Chandigarh Administration and Bhakra Beas Management Board:

Provided that no Government employee shall be transferred on deputation during the period of probation and one year before his retirement on superannuation.

(2) No Government employee shall be transferred to foreign service or on deputation against his will in any Organization/Department under the control of Government of India or any other State Government or out of India.

(3) Transfer of a Government employee under sub rule (1) or (2) above shall be sanctioned by the competent authority subject to the conditions laid down in the Haryana Civil Services (General) Rules, 2016 and any restrictions which it may deem fit to impose by general or special orders.

Note 1.— No Government employee shall be transferred to foreign service on deputation unless the borrowing employer undertakes to afford him the privileges not inferior to those which he would have enjoyed, had he remained in the service of the Government of Haryana.

Note 2.— The lien of temporary or permanent Government employee in his parent Department shall remain intact had he not been transferred to foreign service or on deputation.

Note 3.— A Government employee transferred to Chandigarh Administration, Bhakra Beas Management Board or any other Department of Haryana Government shall be on deputation however, he shall not be entitled to any deputation allowance and there shall be no liability on the borrowing Department for payment of leave salary and pension contribution, except matching contribution under Defined Contributory Pension Scheme, for the period of deputation.

Pay, leave, pension and other matters.

**13.** (1) In respect of pay, leave, pension and all other matters, not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by Haryana Civil Services (General) Rules, 2016, Haryana Civil Services (Pay) Rules, 2016, Haryana Civil Services (Leave) Rules, 2016, Haryana Civil Services (Allowances to Government Employees) Rules, 2016, Haryana Civil Services (General Provident Fund) Rules, 2016, Haryana Civil Services (Government Employee Conduct) Rules, 2016, Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016, Haryana Civil Services (Travelling Allowance) Rules, 2016, Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016, and by such rules and regulations, as may have been, or may hereafter be adopted or made by the competent authority of India under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature:

Provided that the Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016 shall not be applicable to those members of service who are appointed on or after the 1st January, 2006 (except death-cum-retirement gratuity and leave encashment).

(2) A Government employee who retires from Service or post shall be eligible to add to his Service qualifying for superannuation pension (but not for any other class of pension),-

(i) the actual period not exceeding one-fourth of the length of his Service; or

(ii) the actual period by which his age at the time of recruitment exceeds twenty-five years; or

(iii) a period of five years, whichever is less, if the Service or post to which the Government employee is appointed is one-

(a) for which post-graduate research or specialist qualification, or experience in scientific, technological or professional fields is essential; and

(b) to which candidates of more than twenty-five years of age are normally recruited:

Provided that this concession shall be admissible to a Government employee-

(i) appointed by direct recruitment and not by promotion;

(ii) who has actual qualifying service of ten years or more at the time of superannuation retirement:

Provided that the provision of above said sub-rule (2) shall not be applicable to those member of Service who are appointed on or after the 1st January, 2006.

(3) The concession referred to sub-rule (2) shall also be admissible on subsequent appointment from any other post to such a post in the same or any other department:

Provided that the Government employee shall be entitled either to count his past qualifying service for superannuation pension or to get concession under sub-rule (2). He shall exercise an option to this effect within one year from the date of joining. The option once exercised shall be final.

Note: The decision to grant the concession under this rule shall be taken within two years from the date of recruitment by the administrative department in consultation with the Finance Department.

**14.** (1) In the matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016 as amended from time to time: Discipline, penalties and appeals.

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016 and the appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules.

**15.** Every member of the Service shall get himself vaccinated or revaccinated as and when the Government so directs by a special or general order. Vaccination.

**16.** Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance of India and to the Constitution of India as established by law. Oath of allegiance.

**17.** Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons. Power of relaxation.

**18.** Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of promotion/appointment, if it is deemed expedient to do so. Special provisions.

**19.** Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-servicemen, physically handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard, from time to time under clause (4) of article 16 of the Constitution of India: Reservations.

Provided that the total percentage of reservations, so made, shall not exceed fifty percent, at any time.

**20.** The Haryana Transport Department (Group B) Service Rules, 1992, in so far as applicable to the posts governed by these rules are hereby repealed: Repeal and savings.

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provision of these rules.

**APPENDIX A**

*(see rule 3)*

| **Serial Number** | **Designation of post** | **Number of posts** | **Pay scale** |
|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Senior Accounts Officer | 2 | By deputation from Finance Department Haryana, in his own pay scale. |
| 2. | System Analyst | 1 | FPL-9 (53,100-1,67,800) |
| 3. | Public Relations Officer | 1 | FPL-8 (47,600-1,51,100) |
| 4. | Assistant District Attorney | 9 | By deputation from Prosecution Department, Haryana, in his own pay scale. |
| 5. | Assistant District Transport Officer-cum-Assistant Secretary, Regional Transport Authority | 27 | FPL-8 (47,600-1,51,100) |
| 6. | Superintendent | 5 | FPL-7 (44,900-1,42,400) |
| 7. | Motor Vehicle Officer (Enforcement) | 22 | FPL-6 (35,400-1,12,400) |
| 8. | Motor Vehicle Officer | 23 | FPL-6 (35,400-1,12,400) |
| 9. | Hardware Engineer and Network Administrator | 1 | FPL-6 (35,400-1,12,400) |
| 10. | Private Secretary | 1 | FPL-6 (35,400-1,12,400) |

Note: 1 The Assistant District Transport Officer-cum-Assistant Secretary, Regional Transport Authority shall be designated as Assistant Transport Commissioner while posted at Head Office.

Note: 2 The posts of System Analyst, Hardware Engineer and Network Administrator and Private Secretary shall be governed by their respective service rules of parent department as applicable to them.

Note: 3 The posts of Assistant District Attorney and Senior Accounts Officer shall be governed by their respective service rules of parent department as applicable to them.

**APPENDIX B**

*(see rule 7)*

| **Serial Number** | **Designation of post** | **Academic Qualification and experience, if any, for direct recruitment** | **Academic Qualification and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment** |
|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Senior Accounts Officer | --- | By deputation from Finance Department Haryana, in his own pay scale, having qualification and experience as specified in the parent cadre rules. |
| 2. | System Analyst | --- | **By deputation-**<br>(i) Two years' experience on the post of System Analyst or analogous post; and<br>(ii) Hindi or Sanskrit as one of the subjects in Matric or Higher Education. |
| 3. | Public Relation Officer | --- | **By promotion-**<br>Two years experience as Assistant Public Relation Officer<br>**By deputation-**<br>(i) Two years experience on an analogous post; and<br>(ii) Hindi or Sanskrit as one of the subjects in Matric or Higher Education. |
| 4. | Assistant District Attorney | --- | By deputation from Prosecution Department Haryana, in his own pay scale, having qualification and experience as specified in the parent cadre rules. |
| 5. | Assistant District Transport Officer-cum-Assistant Secretary, Regional Transport Authority | --- | **By promotion-**<br>(i) Graduation from any recognized University, and<br>(ii) Three years experience as Motor Vehicle Officer/ Motor Vehicle Officer (Enforcement) or two years experience as Superintendent.<br>**By deputation-**<br>(i) Graduation from any recognized university,<br>(ii) two years experience on an analogous post; and<br>(iii) Hindi or Sanskrit as one of the subjects in Matric or Higher Education. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 6. | Superintendent | --- | **By promotion-**<br>Twelve years experience as Assistant Secretary/Assistant/ Accountant/ Senior Scale Stenographer.<br>Note: Twelve years' experience in case of Assistant Secretary will be calculated by adding his service both as Assistant Secretary and in the feeding cadre from where he was promoted. |
| 7. | Motor Vehicle Officer (Enforcement) | (i) Graduation with 60% marks from a recognized university; and<br>(ii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education | **By Promotion-**<br>(i) Graduation from a recognized university;<br>(ii) Five years experience as Assistant Secretary/ Assistant/ Accountant/ Senior Scale Stenographer;<br>Note: Five years experience in case of Assistant Secretary will be calculated by adding his service both as Assistant Secretary and in the feeding cadre from where he was promoted.<br>**By deputation-**<br>(i) Graduation from any recognized university;<br>(ii) two years experience on an analogous post; and<br>(iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education. |
| 8. | Motor Vehicle Officer | (i) Bachelor's Degree in mechanical or automobile engineering from a recognized university;<br>(ii) Working experience of at least one year in any automobile workshop of any Original Equipment Manufacturer (OEM) which undertakes repairs of light motor vehicles, heavy goods vehicles and heavy passenger motor vehicles fitted with petrol and diesel engine;<br>(iii) holding a driving licence authorising to drive motor cycle with gear and light motor vehicles; | **By promotion-**<br>(i) Bachelor's Degree in mechanical or automobile engineering from a recognized university;<br>(ii) Five years experience as Motor Vehicle Inspector.<br>**By deputation-**<br>(i) Bachelor's Degree in mechanical or automobile engineering from a recognized university;<br>(ii) two years experience on an analogous post;<br>(iii) holding a driving licence authorising to drive motor cycle with gear and light motor vehicles; |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | (iv) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education; and<br>(v) Should have knowledge of computer. | (iv) Hindi or Sanskrit as one of the subjects in Matric or Higher Education;<br>(v) Should have knowledge of computer. |
| 9. | Hardware Engineer and Network Administrator | --- | **By deputation-**<br>(i) Two years' experience on the post of Hardware Engineer or Network engineer or any analogous post; and<br>(ii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education. |
| 10. | Private Secretary | --- | **By deputation-**<br>(i) Two years experience on the post of Private Secretary; or Five years experience as Personal Assistant or Senior Scale Stenographer, severally or jointly; and<br>(ii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education. |

**APPENDIX C**

*[see rule 14 (1)]*

| **Serial Number** | **Designation of post** | **Appointing authority** | **Nature of Penalty** | **Authority empowered to impose penalty** |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Public Relation Officer | Government | **(i) Minor Penalties**<br>As specified in the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016.<br><br>**(ii) Major Penalties**<br>As specified in the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016. | Government |
| 2. | Assistant District Transport Officer-cum-Assistant Secretary, Regional Transport Authority | | | |
| 3. | Superintendent | | | |
| 4. | Motor Vehicle Officer (Enforcement) | | | |
| 5. | Motor Vehicle Officer | | | |

**APPENDIX D**

*[see rule 14 (2)]*

| **Serial Number** | **Designation of post** | **Nature of Order** | **Authority empowered to made the order** | **Appellate authority** |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Public Relation Officer | (i) reducing or with holding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension;<br>(ii) terminating the appointment of a member of the service otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation. | Government | Government |
| 2 | Assistant District Transport Officer-cum-Assistant Secretary, Regional Transport Authority | | | |
| 3 | Superintendent | | | |
| 4 | Motor Vehicle Officer (Enforcement) | | | |
| 5 | Motor Vehicle Officer | | | |

KALA RAMACHANDRAN,
Principal Secretary to Government Haryana,
Transport Department.

9408—L.R.—H.G.P., Pkl.